दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 19 मई 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 230

महत्वपूर्ण एवं खास

मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, किरेन रिजिजू की जगह अर्जुन मेघवाल होंगे कानून मंत्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर अब अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस नए बदलाव के मुताबिक अब तक कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू को अब भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। किरेन रिजिजू की जगह पर अब अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ-साथ कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा का निधन, लंदन में ली आखिरी सांस

नई दिल्ली (आरएनएस)। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा ने 87 साल की उम्र में लंदन में आखिरी सांस ली। यह जानकारी फैमिली स्पोक्सपर्सन ने दी। वे पिछले कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। हिंदुजा ब्रदर्स फैमिली में कुल चार भाई हैं, जिनमें वे सबसे बड़े थे। प्रवक्ता ने कहा कि एसपी हिंदुजा के देहांत से उनका परिवार शोकाकुल है। एसपी हिंदुजा एक विजिनरी व्यक्ति थे। वे भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ-साथ दोनों देशों में अपने संबंधों का तालमेल शानदार रखा। एसपी हिंदुजा चार हिंदुजा भाइयों में सबसे बड़े थे। इसी साल फरवरी माह में उनकी पत्नी मधु हिंदुजा का निधन हो गया था। परिवार के प्रवक्ता द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि गोपीचंद, प्रकाश, अशोक और पूरे हिंदुजा परिवार को आज हमारे परिवार के संरक्षक और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा के निधन की घोषणा करते हुए भारी दुख हो रहा है। वह परिवार के मेंटर थे।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़

श्रीनगर (आरएनएस)। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने कहा कि सेना और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र की तलाशी के दौरान जिले की मेंढर तहसील के कसबलारी गांव में एक ठिकाने का पता लगाया। तलाशी दल को ठिकाने से एक आईईडी और अन्य विस्फोटक सामग्री मिली। अधिकारियों ने कहा, ठिकाने के अंदर मिले एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और अन्य विस्फोटक सामग्री को बम निरोधक दस्ते ने गांव के सरपंच की मौजूदगी में सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया।

पलानीकुमार की राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में फिर से नियुक्ति

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने गुरुवार को वी. पलानीकुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में फिर से नियुक्त किया। राज्य सरकार की अधिसूचना में कहा गया है, वी. पलानीकुमार (आईएएस सेवानिवृत्त) को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में अगले साल नौ मार्च तक के लिए नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि 29 मई, 2021 को पलानीकुमार को दो साल की अवधि के लिए राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।

खाद्य प्रसंस्करण मिशन : साढ़े चार साल में 737 इकाईयों में 1398 करोड़ रूपए का हुआ निवेश

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में 6 हजार 896 लोगों को मिला रोजगार

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप राज्य में पिछले साढ़े चार सालों में 737 नई इकाईयां स्थापित हुई है। इन इकाईयों में 1397 करोड़ 24 लाख रूपए का पूंजी निवेश हुआ है और 6 हजार 896 लोगों को रोजगार मिला है।

मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन, स्थापना व आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतक 50 लाख रूपए) तक अनुदान, उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़ रूपए) तथा बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रूपए की राशि तक का अनुदान वार्षिक दर पर दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र व संग्रहण केंद्र की स्थापना कार्यक्रम के तहत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (2.50 करोड़ रूपए अधिकतम) तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, रीफर वाहन योजना के अंतर्गत कूलिंग की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रूपए) तक का अनुदान अद्यमियों को प्रदाय किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए अनुदान शर्तों में आवेदक की पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिए यानी आवेदक का नेटवर्थ आवेदन किये गए अनुदान का 1.5 गुणा से अधिक होना चाहिए। परियोजना प्रस्तावों का बैंक व वित्तीय संस्थान द्वारा विधिवत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सावधि ऋण का लाभ उठाया जाना चाहिए, सावधि ऋण परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

बैंक व वित्तीय संस्थान की परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी परियोजना घटक शामिल किये जाने चाहिए, जिनके लिए अनुदान मांगा गया है। वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पहले नहीं होनी चाहिए। योजना के लिए निर्धारित घटकों में से किन्ही 2 परियोजना घटकों की स्थापना करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत प्रदेश में एक नई योजना 'छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन' लागू है। खाद्य प्रसंस्करण मिशन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करना, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाना, उत्पादों को उन्नत करने उनकी क्षमता को बढ़ाने, कृषि उत्पादों का संग्रहण तथा प्रसंस्करण से कृषकों को आर्थिक लाभ देना, खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता के मानकों में सुधार करना और संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बेहतर सहायक प्रणाली की व्यवस्था करना है।

भारत लाया जाएगा 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा, यूएस कोर्ट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। 2008 में मुंबई हमले के वांछित पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को अमेरिका की एक अदालत ने भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है। साल 2020 में ही 62 साल के राणा की गिरफ्तारी की मांग की मांग करते हुए केस दर्ज करवाया गया था। इसके बाद बाइडन प्रशासन ने भी राणा के प्रत्यर्पण का समर्थन किया था।

जस्टिस जैक्लिन चूलजियान की अदालत ननें 16 मई को आदेश देते हु कहा कि राणा का प्रत्यर्पण किया जाना चाहिए। साल 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल में हमला किया था। इसमें 166 लोगों की जान चली गई थी जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। इस हमले में राणा की भूमका के लिए उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए का कहना है कि राजनयिक नियमों के तहत राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका की कोर्ट में तर्क दिया गया कि राणा को पता था कि उसका दोस्त डेविड कोलमैन हेडली लश्कर का आतंकी है और इसके बावजूद राणाा ने उसकी मदद की और आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया। वहीं राणा के वकील ने इसे गलत बताया था और गिरफ्तारी का विरोध किया था।

बताते चलें की 26/11 अटैक में जो 166 लोग मारे गए थे उनमें 6 अमेरिकी थे। हमले मुंबई में कई जगहों पर 60 घंटे तक जारी रहा। भारत औऱ अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण की संधि है और इसी के तहत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

मिड डे मील खाने से 35 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, खिचड़ी में मिली मरी हुई छिपकली

सारण (आरएनएस)। बिहार के छपरा जिले में मिड डे मील खाने की वजह से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। एक के बाद एक 35 बच्चों की तबीयत बिगडऩे के बाद हडक़ंप मच गया। आनन-फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना डोरीगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। दरअसल, जिस खिचड़ी का बच्चों ने सेवन किया उसमें मरी हुई छिपकली मिली है।

सदर एसडीओ संजय कुमार ने सदर अस्पताल में बीमार बच्चों का जायजा लिया और बताया कि बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों का इलाज सही तरीके से किया जा रहा है और डॉक्टरों की टीम मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है। मिड डे मील के में लापरवाही के इस मामले की जांच कराई जाएगी।

इस बीच विद्यालय के छात्र आकाश कुमार ने बताया कि रोज की तरह आज सुबह बच्चे एमडीएम का भोजन लेकर खा रहे थे तभी आकाश के ही थाली में मरी हुई छिपकली निकली। आकाश ने इस बात की सूचना शिक्षकों को दी जिसके बाद अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में मिड डे मील के वितरण को रोका गया। थोड़ी देर बाद बच्चों की तबीयत बिगडऩे लगी और देखते ही देखते 50 बच्चे उल्टी करने लगे और बीमार हो गए। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम कुमारी ने बताया कि एनजीओ के द्वारा भोजन का वितरण किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से भोजन में काफी गड़बडिय़ां पाई जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी से हटाया बैन

❑ ममता सरकार को बड़ा झटका

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म 'द केरला स्टोरी' से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाया गया बैन हटा दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत पश्चिम बंगाल सरकार के आठ मई के उस आदेश पर रोक लगा रही है, जिसमें फिल्म 'द केरला स्टोरी' को बैन किया गया था।

कोर्ट ने तमिलनाडु को भी 'द केरला स्टोरी' की सुरक्षित स्क्रीनिंग के लिए सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म की स्क्रीनिंग को नहीं रोकेगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी से कहा राज्य सरकार ने 13 लोगों के विचार के आधार पर फिल्म पर बैन लगा दिया। आपको कहीं भी 13 लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि फिल्म पर प्रतिबंध लगा दें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि फिल्म देश में हर जगह रिलीज हो चुकी है। सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनसांख्यिकी बहुत अलग है और इस पर भी विचार करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप जनसांख्यिकीय हर जगह समान होने की उम्मीद नहीं कर सकते.. सत्ता का आनुपातिक तरीके से प्रयोग किया जाना है..

मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से कहा कि आप मौलिक अधिकारों को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं बना सकते और अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो फिल्म न देखें। चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा कि अगर कोई घटना होती है तो राज्य सरकार किसी विशेष जिले में फिल्म के प्रदर्शन को रोक सकती है, लेकिन इसे पूरे राज्य में बैन नहीं किया जा सकता।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म 'द केरला स्टोरी' मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है और इसमें कई श्यों में हेट स्पीच है, जो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है। राज्य सरकार ने एक जवाबी हलफनामे में कहा कि अगर फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है तो इससे शांति भंग हो सकती है।

हलफनामे में कहा गया, फिल्म गलत तथ्यों पर आधारित है और इसमें कई श्यों में हेट स्पीच है जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकती है और समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है जो अंतत: कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करेगी। यह बात राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न खुफिया सूचनाओं से पता चली है।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम की धारा 6 (1) का प्रयोग कर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया।

सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, शिवकुमार डिप्टी सीएम

❑ कांग्रेस ने किया औपचारिक ऐलान

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस ने तमाम अटकलों को विराम देते हुए गुरुवार को अपने कद्दावर नेता सिद्धारमैया को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ कई घंटों के विचार-विमर्श के बाद पार्टी ने यह घोषणा की। सिद्धारमैया वरुणा विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, जबकि शिवकुमार कनकपुरा सीट से जीते हैं।

कांग्रेस महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद फैसला किया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को होगा।

वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों का एक समूह भी शपथ लेगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत का श्रेय दक्षिणी राज्य के दोनों नेताओं को देते हुए कहा, दोनों नेता कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी संपत्ति हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम सर्वसम्मति में विश्वास करते हैं न कि तानाशाही में। मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह चुनाव गरीब बनाम अमीर था।

एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में समान विचारधारा वाले सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जायेगा। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी कर्नाटक में पारदर्शी सरकार देने और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच, खडग़े ने ट्वीट कर कहा, टीम कांग्रेस कर्नाटक के लोगों की प्रगति, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों से किए गए वादे के मुताबिक पार्टी पांच गारंटी लागू करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें जीतीं जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर सिमट कर रह गई।

राष्ट्रपति और पीएम चखेंगे मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची का स्वाद

मुजफ्फरनगर (आरएनएस)। बिहार के मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची का स्वाद इस बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोग चखेंगे। जून के प्रथम सप्ताह में मुजफ्फरपुर की शाही लीची दिल्ली भेजने को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर के कांटी, मीनापुर, मुसहरी और बोचहां प्रखंड क्षेत्र के लीची बगानों से पुष्ट, रसीली और गुद्दे वाली शाही लीची की तलाश शुरू कर दी गई है। इस साल करीब एक हजार पेटी लीची भेजने की योजना बनाई गई है।

अधिकारियों के मुताबिक, यहां से लीची पहले दिल्ली स्थित बिहार भवन भेजा जाएगा, जहां से माननीयों के घरों तक लीची पहुंचाई जाएगी।

इसे लेकर मुजफ्फरपुर लीची टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में एक टीम का गठन किया गया है। इसमें उद्यान पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी एवं अन्य कई अधिकारी को शामिल किया गया है।

मुजफ्फरपुर के उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। अच्छी बागवानी, जिसमें अच्छे फल लगे होंगे, उन्हें चिन्हित कर उसकी तुड़ाई की जाएगी। उसके बाद करीब 1000 पेटी लीची दिल्ली स्थित बिहार भवन भेजा जाएगा।

उन्होंने बताया कि जून के प्रथम सप्ताह में लीची दिल्ली के बिहार भवन पहुंच जाएगी। वहां से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल शाही लीची राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाती है।

जल्लीकट्टू-कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ कानूनन वैध, सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को सही माना

नई दिल्ली (आरएनएस)। तमिलनाडु में हर साल होने वाले खेल जल्लीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के इस कानून को वैध करार दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की इजाजत देने वाले कानूनों की संवैधानिकता पर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को भी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, महाराष्ट्र अधिनियम, कर्नाटक अधिनियम पर कहा कि राज्य के तीनों अधिनियम वैध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी दौड़ कानून वैध हैं। राज्यों को कानून के तहत पशुओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश है।

मालूम हो कि कोर्ट ने पिछले साल 8 दिसंबर को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यू पी (सी) नंबर 23/2016 और इससे जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य के नाम से दाखिल याचिकाओं में भारत सरकार की 7 जनवरी 2016 को जारी अधिसूचना को रद्द और निरस्त करने की मांग की गई है।

जानकारी के मुताबिक यह मामला लंबित था, लेकिन इसी दौरान तमिलनाडु में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2017 पारित किया गया। बाद में इस अधिनियम को रद्द करने की मांग करने के लिए रिट याचिकाओं को दाखिल किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने तब इस मामले को संविधान पीठ को सौंपते हुए पूछा था कि क्या तमिलनाडु संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत अपने सांस्कृतिक अधिकार के रूप में जलीकट्टू का संरक्षण कर सकता है, जो नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की पीठ ने महसूस किया था कि जलीकट्टू के इर्द-गिर्द घूमती रिट याचिका में संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं। इसके बाद रिट याचिकाओं में उठाए गए सवालों के अलावा इस मामले में पांच सवालों के जवाब तय करने के लिए संविधान पीठ के पास भेजने की सिफारिश कर दी थी।

दुनियाभर में सबसे ज्यादा गर्म होंगे अगले 5 साल

❑ डब्लूएमओ ने दी चेतावनी

नई दिल्ली (आरएनएस)। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बुधवार को कहा कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक तापमान बढऩे की संभावना है, जिससे 2023-27 अब तक के सबसे गर्म पांच साल रह सकते हैं, और 98त्न संभावना है कि इनमें से किसी एक साल, 2016 में स्थापित तापमान रिकॉर्ड भी टूट सकता है।

यह नोट किया गया है कि तापमान में बढ़ोतरी गर्मी-फंसाने वाली ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) और स्वाभाविक रूप से होने वाली एल नीनो (पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी की असामान्य वार्मिंग) के कारण होगी। आमतौर पर, एल नीनो विकसित होने के बाद के साल में वैश्विक तापमान बढ़ाता है इस मामले में, यह 2024 होने की संभावना है।

जेनेवा में जारी अपने स्टेट ऑफ क्लाइमेट अपडेट में, डब्ल्यूएमओ ने कहा कि 2023 और 2027 के बीच एक या अधिक वर्षों में औसत तापमान के अस्थायी रूप से पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1।5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की 66% संभावना है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बुधवार को वैश्विक समुदाय को वार्मिंग अल नीनो की आगामी चुनौतियों के लिए तैयार होने की चेतावनी दी, जो आने वाले महीनों में विकसित होने की उम्मीद है, जो मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर वैश्विक तापमान को काफी बढ़ाएगा। डब्ल्यूएमओ के महासचिव पेटेरी तालस ने संयुक्त राष्ट्र निकाय की जलवायु रिपोर्ट की नई स्थिति जारी करते हुए कहा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन और पर्यावरण के लिए इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। हमें तैयार रहने की जरूरत है।

रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि 2023 और 2027 के बीच प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक औसत वैश्विक निकट-सतह तापमान 1850-1900 औसत से 1।1 डिग्री सेल्सियस और 1।8 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के अलावा, मानव-प्रेरित जीएचजी भी समुद्र के अधिक ताप और अम्लीकरण, समुद्री बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि और खराब मौसम का कारण बनते हैं।